बैंक के सावधि जमा संबंधी नीति

POLICY ON BANK FIXED DEPOSITS

1. प्रस्तावना / PREAMBLE

व्यवसाय परिचालनों के लिए संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जिसे आगे बैंक कहा जाएगा, सावधि जमाराशियाँ स्वीकार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक जमाराशियों से संबंधित ब्याजदरों और जमा खातों के संचालन के अन्य पहलुओं के बैरे में समय-समय पर निर्देश / सलाह जारी करने के लिए अधिकृत है। वित्तीय प्रणाली के उदारीकरण और अविनियमन के साथ, बैंक भा.रि.बैंक से जारी व्यापक दिशानिर्देशों के अंदर जमा उत्पाद रूपायित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भा.रि.बैंक ने बैंक को पाँच वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति दी है।

With a view to augment resources for business operations, Small Industries Development Bank of India, hereinafter referred to as the Bank has been accepting Fixed Deposits. The Reserve Bank of India (RBI) is empowered to issue directives / advices on interest rates on deposits and other aspects regarding conduct of deposit accounts from time to time. With the liberalization in the financial system and deregulation, banks are now free to formulate deposit products within the broad guidelines issued by RBI. RBI has permitted the Bank to raise deposits with a maturity period upto five years.

जमाराशियों के बारे में यह नीतिगत दस्तावेज़ बैंक के सावधि जमा उत्पादों और खातों के संचालन से संबंधित शर्तें रूपायित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और इसका लक्ष्य ग्राहकों के लाभ के लिए, जन-साधारण से जमाराशियाँ स्वीकार करने, जमा खातों का संचालन और परिचालन करने, ब्याज के भुगतान, जमा खाता बंद करने, दिवंगत जमाकर्ताओं की जमाराशियों के निपटान की विधि, आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना है। आशा की जाती है कि इस दस्तावेज़ से व्यक्तिगत ग्राहकों से संव्यवहार करने में अधिक पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों में अपने

अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। परम उद्देश्य यह है कि ग्राहक जो सेवाएँ पाने के अधिकारी है, वे उन्हें बिना माँगे प्राप्त हों।

This policy document on deposits outlines the guiding principles in respect of formulation of Fixed Deposit product offered by the Bank and terms and conditions governing the conduct of the accounts. The document recognizes the rights of depositors and aims at dissemination of information with regard to various aspects of acceptance of deposits from the members of the public, conduct and operations of deposits accounts, payment of interest, closure of deposit accounts, method of disposal of deposits of deceased depositors, etc., for the benefit of customers. It is expected that this document will impart greater transparency in dealing with the individual customers and create awareness among customers of their rights. The ultimate objective is that the customer will get services they are rightfully entitled to receive without demand.

यह नीति अपनाते हुए, बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों के प्रति अपनी उन प्रतिबद्धताओं को दोहराता है, जो बैंकरों की उचित व्यवहार संहिता में निर्दिष्ट हैं। यह दस्तावेज़ एक व्यापक ढाँचा है, जिसके अंतर्गत सामान्य जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता मिलती है। सावधि जमा योजना और संबंधित सेवाओं के बारे में विस्तृत परिचालनगत अनुदेश समयसमय पर जारी किए जाएँगे।

While adopting this policy, the bank reiterates its commitments to individual customers outlined in Bankers' Fair Practice Code. This document is a broad framework under which the rights of common depositors are recognized. Detailed operational instructions on Fixed Deposit Scheme and related services will be issued from time to time.

2. जमा खातों के प्रकार

TYPES OF DEPOSIT ACCOUNT

बैंक न्यूनतम 12 माह की अवधि से लेकर 1 माह के गुणजों में अधिकतम 60 माह की अवधि तक की विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाराशियाँ स्वीकार करेगा।

The Bank will accept fixed deposits for different maturity periods subject to minimum deposit period of 12 months and in multiples of 1 month upto a maximum deposit period of 60 months.

3. अपना ग्राहक जानें (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देश

KNOW YOUR CUSTOMER(KYC) GUIDELINES

अपना ग्राहक जानें (केवाईसी) वह मंच है, जिसके आधार पर बैंकिंग प्रणाली खाता खोलने और उनके संचालन के लिए निर्धारित विभिन्न प्रक्रियाओं का अत्यंत सतर्कतापूर्वक पालन कर, परिचालनगत, विधिक और प्रतिष्ठागत जोखिमों तथा उनके परिणामस्वरूप होने वाली हानियों के ख़तरों से बचता है। बैंक ने भा.रि.बैंक के लागू दिशानिर्देशों तथा बैंक के अन्य मानकों के अनुसार, केवाईसी संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश, प्रक्रियाएँ और आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली अपनाई है।

Know Your Customer (KYC) is the platform on which banking system operates to avoid the pitfalls of operational, legal and reputation risks and consequential losses by scrupulously adhering to the various procedures laid down for opening and conduct of accounts. The Bank has adopted KYC policy guidelines, procedures and internal control mechanism as per applicable RBI guidelines and other norms of the Bank.

4. खाता खोलना और जमा खातों का परिचालन

ACCOUNT OPENING AND OPERATION OF DEPOSIT ACCOUNTS

A. बैंक सावधि जमा खाता खोलने से पहले, भा.रि.बैंक से जारी "अपना ग्राहक जानें" (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देशों, धन-शुद्धि निरोधी नियमों एवं विनियमों और/या समय-समय पर बैंक द्वारा अपनाए गए ऐसे अन्य मानकों या प्रक्रियाओं के अधीन अपेक्षित सम्यक् कर्तव्यपरायणता पूरी करेगा।

The Bank before opening a Fixed deposit account will carry out due diligence as required under "Know Your Customer" (KYC) guidelines issued by RBI Anti–Money laundering rules and regulations and or such other norms or procedures as adopted by the Bank from time to time.

B. ग्राहक से यह भी अपेक्षित होगा कि वे ऐसे अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, जो जमा के अस्तित्व के दौरान प्रभावी होने वाले किसी कानून /विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी हों।

Customer may also be required to submit such other documents as may become necessary due to operation of law / regulatory requirements, which may come into operation during subsistence of the deposit.

C. बैंक संभावित जमाकर्ताओं को खाता खोलने का फ़ॉर्म और अन्य मुद्रित लेखनसामग्री उपलब्ध कराएगा। उनमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं तथा सत्यापन और/या अभिलेख के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण शामिल होगा। सावधि जमा खाता खुलवाने वाले बैंक अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे संभावित ग्राहक को प्रक्रियागत औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दें और उसकी जिज्ञासाओं का अपेक्षित स्पष्टीकरण दें। जिन मामलों में संभावित ग्राहक सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं करेगा और/या असहयोग करेगा, उनमें बैंक खाता नहीं खोल सकता है। यदि मौजूदा ग्राहक दस्तावेज़ /सूचनाएँ /अन्य विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, तो बैंक विधिवत् सूचना देते हुए खाता बंद कर देगा।

The account opening form and other printed stationery material would be provided to the prospective depositor by the Bank. The same will contain details of information to be furnished and documents to be produced for verification and or for record, it is expected of the Bank official opening the fixed deposit, to explain the procedural formalities and provide necessary clarifications sought by the prospective depositor. The Bank may not open fixed deposit account where the prospective customer is unable to furnish information and or in the event of non-cooperation by him. Inability of the existing customer to furnish documents/ information other details could result in the Bank closing the account under due notice to the customer.

D. कोई व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार (कर्ता के माध्यम से), स्वामित्व प्रतिष्ठान, भागीदार फ़र्म, कंपनी, निकाय कॉर्पोरेट, बैंक, सोसाइटी, व्यक्तियों का संघ, न्यास (ट्रस्ट), धर्मार्थ न्यास, राहत निधि एवं गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, केंद्र /राज्य सरकार का विभाग, भविष्यनिधि न्यास, पत्तन न्यास, म्युचुअल फंड, कल्याण निधि, सरकारी विश्वविद्यालय/ संस्थान, निजी शैक्षिक संस्थान और सांविधिक निकाय सावधि जमा खाता खोल सकता है, जो ऐसे जमा खातों में निवेश करने के लिए अधिकृत हों।

A fixed deposit can be opened by individuals, Hindu Undivided Family (through Karta), Proprietary concerns, Partnership firms, Companies, Body Corporate, Banks, Societies, Association of Persons (AOP), Trusts, Charitable Trusts, Relief Funds & NGO's, Public Sector undertakings, Central / State Govt Departments, P.F Trusts, Port Trusts, Mutual Funds, Welfare Funds, Government University / Institutions, Private Educational Institution and Statutory bodies which are authorised to invest in such deposits.

E. सावधि जमा के लिए सम्यक् कर्तव्यपरायणता संबंधी प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंक से जारी तत्संबंधी मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर, व्यक्ति की पहचान, पते के सत्यापन, उसके पेशे तथा आय के स्रोतों के बारे में संतुष्टि करना शामिल है।

The due diligence process, for fixed deposit will involve satisfying about the identity of the person, verification of address, satisfying about his occupation and source of income by obtaining necessary documents as per extant KYC guidelines issued by the Bank, in this regard.

F. सम्यक् कर्तव्यपरायणता संबंधी अपेक्षाओं के अलावा, बैंक से यह अपेक्षित है कि वह केवाईसी मानकों के अधीन, कानून के अनुरूप स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआईआर) संख्या या विकल्पत: आयकर अधिनियम /नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट फ़ॉर्म सं. 60 या 61 में घोषणा प्राप्त करे।

In addition to the due diligence requirements, under KYC norms the Bank is required by law to obtain Permanent Account Number (PAN) or General Index Register (GIR) Number or alternatively declaration in Form No. 60 or 61 as specified under the Income Tax Act / Rules.

G. कोई व्यक्ति अपने नाम में (हैसियत : एकल नाम में खाता कहा जाता है) या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम में (हैसियत : संयुक्त खाता कहा जाता है) सावधि जमा खोल सकता है । कोई अवयस्क अपने प्राकृतिक संरक्षक / विधिक संरक्षक (न्यायालय से नियुक्त) के साथ संयुक्त से सावधि जमा खाता खोल सकता है।

Fixed deposit can be opened by an individual in his own name (status: known as account in single name) or by more than one individual in their own names (status: known as Joint Account). Fixed Deposit can be opened by a minor jointly with natural guardian / Legal guardian (appointed by the Court)

H. संयुक्त खाते का परिचालन : संयुक्त खाते केवल व्यक्तियों से स्वीकार किए जाते हैं। संयुक्त जमा खाते अधिकतम तीन व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं।

Operation of Joint Account – Joint deposits are accepted only from individuals. Joint deposits may be made by a maximum of three individuals.

I. संयुक्त जमा निम्नलिखित के अधीन किया जा सकता है :

The joint deposit can be made under:

a. दोनों/तीनों में से कोई या उत्तरजीवी : यदि खाता दो व्यक्तियों, अर्थात् मान लें, क एवं ख ने धारित किया हुआ है, तो किसी एक खाताधारक के दिवंगत हो जाने की स्थिति में, परिपक्वता के समय, लागू ब्याज सहित अंतिम अतिशेष राशि उत्तरजीवी को अदा की जाएगी। तथापि, जमाराशि के समय-पूर्व आहरण की स्थिति में, उत्तरजीवी जमाकर्ता और नामिती दोनों की सम्मति अपेक्षित होगी।

Either or Survivor : If the account is held by two individuals say, A & B, the final balance along with interest, if applicable, will be paid to the survivor on death of anyone of the account holders on maturity. However, in case of premature withdrawal of the deposit, it will require concurrence of both, the surviving depositor and nominee.

b. कोई एक या उत्तरजीवी : यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों, अर्थात् मान लें, क, ख एवं ग ने धारित किया हुआ है, तो किन्ही दो खाताधारकों के दिवंगत हो जाने की स्थिति में, परिपक्वता के समय, लागू ब्याज सहित अंतिम अतिशेष राशि उत्तरजीवी को अदा की जाएगी। तथापि, जमाराशि के समय-पूर्व आहरण की स्थिति में, उत्तरजीवी जमाकर्ताओं और नामिती दोनों की सम्मति अपेक्षित होगी।

Anyone or Survivor/s: If the account is held by more than two individuals say, A, B and C, the final balance along with interest, if applicable, will be paid to the survivor on death of any two account holders on maturity. However, in case of premature withdrawal of the deposit, it will require concurrence of both, the surviving depositors and nominee.

c. पहला या उत्तरजीवी : यदि खाता दो व्यक्तियों, अर्थात् मान लें, क एवं ख ने धारित किया हुआ है, तो पहला या उत्तरजीवी की शर्त केवल उस स्थिति में प्रभावी होगी, जब मूल जमाकर्ता दिवंगत हो जाए और दूसरे नाम का खाताधारक पहले नाम वाले खाताधारक के जीवनकाल के दौरान इस अनुदेश को लागू करने का अधिकार नहीं रखता है। पहले

खाताधारक के दिवंगत होने की स्थिति में, परिपक्वता के समय, लागू ब्याज सहित अंतिम अतिशेष राशि उत्तरजीवी को अदा की जाएगी। तथापि, जमाराशि के समय-पूर्व आहरण की स्थिति में, उत्तरजीवी जमाकर्ता और नामिती दोनों की सम्मति अपेक्षित होगी।

Former or Survivor: If the account is held by two individuals A & B, the clause "Former or Survivor" becomes effective only in case of death of the original depositor and the second named account holder does not have right to revoke the instructions during the lifetime of the first named account holder. In case of death of Former deposit holder, final balance along with interest, if applicable, will be paid to the survivor on maturity. However, in case of premature withdrawal of the deposit, it will require concurrence of both, the surviving depositor and nominee.

उपर्युक्त अधिदेश सावधि जमाराशियों की परिपक्वता तिथि पर या उसके बाद लागू या प्रभावी होंगे। उक्त अधिदेश सभी खाताधारकों की सहमति से आशोधित किए जा सकते हैं।

The above mandates will be applicable to or become operational only on or after the date of maturity of fixed deposits. This mandate can be modified by the consent of all the account holders.

J. सावधि जमा के खाताधारक जमा रखते समय जमा खाते की परिपक्वता तिथि पर उसे बंद करने या आगे की अवधि के लिए स्वत: नवीकृत करने का अनुदेश दे सकते हैं।

The fixed deposit account holders at the time of placing their deposits can give instructions with regard to closure of deposit account or auto renewal of deposit for further period on the date of maturity.

5. खाता एक शाखा कार्यालय से दूसरे शाखा कार्यालय में अंतरित करना

TRANSFER OF ACCOUNT FROM ONE BRANCH OFFICE TO ANOTHER

यदि कोई ग्राहक अपना खाता बैंक के किसी दूसरे शाखा कार्यालय में अंतरित करने का अनुदेश देता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सावधि जमा खाते के साथ संबंधित दस्तावेज़, अर्थात् मूल आवेदन फ़ॉर्म, नामांकन फ़ॉर्म और खाते से संबंधित कोई अन्य अधिदेश, जो जमाकर्ता(ओं) ने दिए हों, भी निवेदित शाखा कार्यालय को हस्तांतरित किए जाएँ और ग्राहक को इसकी सूचना दी

जाए। योजना की यह सुविधा आरएमएस सॉफ़्टवेयर में समुचित आशोधन करने के बाद परिचालनरत की जाएगी।

In the case of instructions of a customer for transfer of his / her account to another branch office of the Bank, it should be ensured that along with the FD account, the relative documents, viz original application form, nomination form and any other account mandate given by the depositor(s) are also transferred to the requested branch office of the Bank, under advice to the customer. This feature of the Scheme shall be operationalised upon suitable modification in RMS software.

6. नामांकन / NOMINATION

नामांकन केवल उन जमा खातों के संबंध में किए जाएँ, जिन्हें जमाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप में खोला हो, न कि कोई पदधारक होने के नाते प्रतिनिधि की हैसियत से या अन्यथा।

The said nomination may be made only in respect of a deposit which is held in the individual capacity of the depositor and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

नामांकन की सुविधा केवल उन सावधि जमा के लिए उपलब्ध है, जिन्हें व्यक्तियों ने एकल या संयुक्त रूप से खोला हो। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। खाताधारक किसी भी समय इस प्रकार किए गए नामांकन निरस्त या परिवर्तित कर सकता है /सकते हैं। संयुक्त खाते के मामले में, नामांकन निरस्त करने या परिवर्तित करने का कार्य सभी जमाकर्ताओं को करना आवश्यक होगा। तथापि, अवयस्क या अविभाजित हिंदू परिवार की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति या मुख़्तारनामा धारक नामांकन नहीं कर सकते हैं।

The Nomination facility is available on fixed deposit account opened by the individuals singly or jointly. Nomination can be made in favour of one individual only. Nomination so made can be cancelled or changed by the account holder/s any time. In case of joint deposits, all the depositors need to cancel or change the nomination. However, persons applying on behalf of minors and HUF's or a Power of Attorney Holder cannot nominate.

अवयस्क के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है। जिन मामलों में नामिनी अवयस्क हो, उनमें जमाकर्ता या एक साथ सभी जमाकर्ता, जैसा मामला हो, नामांकन करते समय, जमाकर्ता या

जमाकर्ताओं, जैसा मामला हो, के दिवंगत होने की स्थिति में, नामिती की अवयस्कता के दौरान, उसकी ओर से जमाराशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वयस्क व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। यदि कोई जमाराशि अवयस्क के नाम में रखी गई हो, तो नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्‌वारा किया जाएगा, जो कानूनी रूप से अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत हो।

Nomination can be made in favour of a minor also. Where the nominee is a minor, the depositor or, as the case may be, all the depositors together, may, while making the nomination, appoint another individual not being a minor, to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of the death of the depositor or, as the case may be, all the depositors during the minority of the nominee. In the case of a deposit made in the name of a minor, the nomination shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

यदि नामांकन फ़ॉर्म में केवल खाताधारक के अँगूठे का निशान होगा, तो उसे दो गवाहों से प्रमाणित कराया जाएगा। नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या प्रस्तुत नामांकन में परिवर्तन का विधिवत् रूप से पूर्ण फ़ॉर्म बैंक की बहियों में पंजीकृत किया जाएगा। नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन केवल जमा के नवीकरण के कारण समाप्त नहीं होगा।

In case of nomination form having only thumb impression of the account holder, the same shall be attested by two witnesses. The relevant duly completed Form of nomination or cancellation of nomination or variation of nomination filed shall be registered in the books of the Bank. A nomination or cancellation of nomination or variation of nomination shall not cease to be in force merely by reason of the renewal of the deposit.

बैंक यह अनुशंसा करता है कि सभी व्यक्तिगत जमाकर्ता नामांकन सुविधा का उपयोग करें। जमाकर्ता(ओं) की मृत्यु होने पर, विधिक उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में नामिती खाते में जमा अतिशेष राशि प्राप्त करेगा। जमा खाता खोलने के समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभ से अवगत कराया जाएगा।

Bank recommends that all individual depositors avail nomination facility. The nominee, in the event of death of the depositor/s, would receive the balance outstanding in the account as a trustee of legal heirs. The depositor will be informed of the advantage of the nomination facility while opening a deposit account.

7. ब्याज भुगतान / INTEREST PAYMENTS

I. समय-समय पर भा.रि.बैंक से जारी सामान्य दिशानिर्देशों के तहत, बैंक सावधि जमा की ब्याजदरों का निर्णय करता है।

Fixed deposit interest rates are decided by the Bank within the general guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

II. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, सावधि जमा पर ब्याज का परिकलन तिमाही अंतराल पर किया जाएगा और उसका भुगतान उस दर पर किया जाएगा, जिसका निर्णय बैंक ने जमा अवधि के आधार पर किया हो।

In terms of Reserve Bank of India directives, interest shall be calculated at quarterly intervals on fixed deposits and paid at the rate decided by the Bank depending upon the period of deposits.

संचयी ब्याज भुगतान विकल्प के मामले में : सावधि जमा की तिथि (सावधि जमा की तिथि चेक/ माँगड्रॉफ्ट /एनईएफ़टी /आरटीजीएस की वसूली तिथि होती है) से प्रत्येक 3 / 6 माह (जैसा मान्य होगा) के बाद चक्रवर्द्धित रूप में ब्याज लगाया जाएगा।

In case of Cumulative interest payment option : Interest will be compounded after every 3 / 6 months from the date of FD (Date of FD is the date of realisation of the cheque / DD/NEFT/RTGS) as applicable.

निम्नलिखित मामलों में :

In case of :

a. **तिमाही ब्याज भुगतान विकल्प :** पहले ब्याज का परिकलन चेक/ माँगड्रॉफ्ट /एनईएफ़टी /आरटीजीएस की वसूली तिथि से 3 कैलेन्डर माह की समाप्ति पर किया जाएगा और स्रोत पर कर की लागू कटौती (टीडीएस) के बाद निवल पात्र ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

   Quarterly interest payment option : The first interest will be calculated from the date of realisation of the cheque / Demand Draft / Pay Order / RTGS till

the end of 3 calendar months and eligible interest shall be paid on a Quarterly basis, net of applicable Tax Deducted at Source (TDS).

b. **छः माही ब्याज भुगतान विकल्प :** पहले ब्याज का परिकलन चेक/ माँगड्रॉफ्ट /एनईएफ़टी /आरटीजीएस की वसूली तिथि से 6 कैलेन्डर माह की समाप्ति पर किया जाएगा और स्रोत पर कर की लागू कटौती (टीडीएस) के बाद निवल पात्र ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा।

Half Yearly interest payment option : The first interest will be calculated from the date of realisation of the cheque / Demand Draft / Pay Order / RTGS till the end of 6 calendar months and eligible interest shall be paid on a Half – yearly basis, net of applicable Tax Deducted at Source (TDS).

c. **वार्षिक ब्याज भुगतान विकल्प :** ब्याज का परिकलन चेक/ माँगड्रॉफ्ट /एनईएफ़टी /आरटीजीएस की वसूली तिथि से 12 कैलेन्डर माह की समाप्ति पर, तिमाही / छः माही (जैसा मान्य होगा) आधार पर चक्रवर्द्धित करते हुए किया जाएगा और स्रोत पर कर की लागू कटौती (टीडीएस) के बाद निवल पात्र ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

Annual interest payment option : The interest will be calculated from the date of realisation of the cheque / Demand Draft / Pay Order / RTGS, which shall be compounded on quarterly / Half Yearly basis (as applicable), till the end of 12 calendar months and interest shall be paid on Annual basis net of applicable TDS.

III. 365 या 366 (यदि अधिवर्ष है) दिन का वर्ष हिसाब में लेते हुए, वित्तवर्ष आधार पर ब्याज का परिकलन दिनों की वास्तविक संख्या के लिए आनुपातिक रूप में किया जाएगा। यदि जमा /परिपक्वता की तिथि ऐसे वित्तवर्ष के दौरान होगी, जिसमें फ़रवरी में 29 दिन होंगे, तो विभाजक 366 दिन होगा, भले ही जमा उस वित्तवर्ष में फ़रवरी के बाद शुरू हुआ हो /परिपक्वता फ़रवरी से पहले हो।

Interest would be computed proportionately for the actual number of days reckoning the year at 365 or 366 (if it is leap year) on Financial Year basis. In case of placement / maturity of deposit during the Financial year, in which February contains 29 days, the denominator shall be 366 days, irrespective of whether the deposit has been placed (after) / matured (prior to) February in that FY.

IV. शाखा परिसर में जमाराशि की ब्याजदरें प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएँगी। यदि जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं में कोई परिवर्तन होगा, तो उसकी सूचना सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी जाएगी और / बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

The rate of interest on deposits will be prominently displayed in the branch premises. Changes, if any, with regard to the deposit schemes and other related services shall also be communicated upfront by way of public notice and / on Bank's website and shall be prominently displayed.

V. यदि किसी व्यक्ति की सभी सावधि जमाराशियों पर अदा /देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होता है, तो बैंक का यह सांविधिक दायित्व है कि वह स्रोत पर कर की कटौती करे। जिन मामलों में ग्राहक पैन संख्या प्रस्तुत नहीं करेगा, उनमें आयकर नियमों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उच्चतर दर से की जाएगी। काटी गई कर-राशि के लिए बैंक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट का हक़दार है, तो वह प्रत्येक वित्तवर्ष के आरंभ में निर्धारित प्ररूप में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

The Bank has statutory obligation to deduct tax at source if the total interest paid / payable on all fixed deposits held by a person exceeds the amount specified under the Income Tax (IT) Act. In case where PAN is not submitted by the customer, TDS will be deducted at higher rate as per IT rules. The Bank will issue a TDS certificate for the amount of tax deducted. The depositor, if entitled to exemption from TDS can submit declaration in the prescribed format at the beginning of every financial year.

8. संयुक्त खाताधारक(कों) का/के नाम जोड़ना /हटाना

ADDITION OR DELETION OF THE NAME/S OF JOINT ACCOUNT HOLDERS

यदि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित होगा, तो बैंक सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारक(कों) का/के नाम जोड़ने /हटाने की अनुमति दे सकता है।

The bank may at the request of all the joint account holders allow addition or deletion of name/s of joint account holder/s if the circumstances so warrant.

9. प्रतिबिक्री के प्रयोजन से ग्राहक सूचना

CUSTOMER INFORMATION FOR CROSS SELLING PURPOSES

बैंक और उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ ग्राहकों से एकत्र की गई सूचनाओं का उपयोग सेवाओं और उत्पादों की प्रतिबिक्री के लिए नहीं करेंगी। यदि बैंक ऐसी सूचनाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव करना चाहता है, तो ऐसा खाताधारक की सहमति से ही किया जाना चाहिए।

The customer information collected from the customers shall not be used for cross selling of services or products by the Bank, their subsidiaries and affiliates. If the Bank proposes to use such information, it should be strictly with the consent of the accountholder.

10. ग्राहक के खाते की गोपनीयता

SECRECY OF CUSTOMER'S ACCOUNTS

बैंक ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति के बिना उसके खाते का विवरण किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को प्रकट नहीं करेगा। तथापि, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे - जब कानून की बाध्यता के अधीन सूचनाएँ प्रकट करना हो, जब सूचनाएँ प्रकट करना जनता के प्रति दायित्व हो, जब बैंक के हित में सूचनाएँ प्रकट करना अपेक्षित हो और जब भारत सरकार तथा किसी अन्य देश की सरकार या अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ किए गए समझौते /व्यवस्था के अंतर्गत दायित्व के पालन के लिए ऐसा प्रकटीकरण आवश्यक हो।

The Bank shall not disclose details / particulars of the customer's account to a third person or party without the express or implied consent from the customer. However, there are some exceptions, viz. disclosure of information under compulsion of law, where there is a duty to public to disclose, where interest of the Bank requires disclosure and where such disclosure is required in compliance with obligation under Treaty / arrangement by the Government of India with Government of any other country or other international agencies.

11. सावधि जमा का समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी

PREMATURE WITHDRAWAL / PRE-CLOSURE OF FIXED DEPOSIT

जमा की तिथि से 12 माह पूर्ण होने से पहले, जमाकर्ता की मृत्यु, चिकित्सीय अत्यावश्यकताओं, शैक्षिक व्यय और बैंक को स्वीकार्य ऐसे अन्य कारणों से सावधि जमा का समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी केवल व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के मामले में अनुमत है। तथापि, गैर-व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के मामले में, समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी एक वर्ष से पहले अनुमत नहीं हैं। समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी के मामले में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

Premature withdrawal / Pre-closure of Fixed Deposit before completion of 12 months from the date of deposit is permitted in case of Individual depositors only due to death of the depositor, medical exigencies, educational expenses and such other reasons acceptable to the Bank. However, in case of Non-Individual depositors' case, pre-mature withdrawal / pre-closure is not permitted before completion of one year. In case of pre-mature withdrawal / pre-closure, the following provisions shall apply:

क्र.सं. **SrNo**	**विवरण** **Particulars**	**अभ्युक्तियाँ** **Remarks**
1	6 माह से पहले Before 6 months	कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा। No interest shall be paid
2	6 माह से 1 वर्ष के बीच Between 6 months and 1 year	4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा किया जाएगा (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) Interest shall be paid at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks).
3	एक वर्ष के बाद After 1 year	जमा को जितनी अवधि हो चुकी है, उतनी अवधि के लिए जमा की तारीख को प्रचलित ब्याजदर से 1 प्रतिशत कम। One percent less than the rate prevailing, as on the Date of Deposit, applicable for the period for which the deposit has run.
		यदि **जमाकर्ता की मृत्यु के कारण सावधि जमा 1 वर्ष के बाद समय-पूर्व बंद किया जाता है,** तो समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

		No penalty on premature withdrawal /pre-closure of FD, if **preclosed on account of death of the depositor** after completion of 1 year
4	दलाली Brokerage	यदि सावधि जमा रखते समय कोई दलाली अदा की गई होगी, तो पूरी हो चुकी /संबंधित अवधि के लिए लागू दलाली घटाकर परिपक्वता राशि से उसकी वसूली की जाएगी। Brokerage, if any, paid at the time of placement of Fixed Deposit shall be recovered from the maturity proceeds after deducting the applicable brokerage for the relative period.

तथापि, उन सावधि जमाराशियों के समय-पूर्व आहरण /समय-पूर्व बंदी के मामलों में ब्याजदर संबंधी उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी, जिन्हें बैंक के कहने पर समय-पूर्व बंद की गई सावधि जमाराशियों के स्थान पर सृजित किया गया है।

However, the above clauses of interest rate on premature withdrawal / pre-closure will not be applicable in case of those FDs, which are created in place of FDs pre-closed at the instance of the Bank.

12. नवीकरण पर ब्याज / अतिदेय सावधि जमा का भुगतान

INTEREST RATE ON RENEWAL / PAYMENT OF OVERDUE FIXED DEPOSITS

जब परिपक्वता पर कोई सावधि जमा नवीकृत किया जाता है, तो जमाकर्ता ने जो अवधि निर्दिष्ट की है, उसके लिए नवीकृत जमा पर वह ब्याजदर लगाई जाएगी, जो परिपक्वता तिथि पर लागू होगी।

When a fixed deposit is renewed on maturity, on renewed deposit the interest rate for the period specified by the depositor as applicable on the date of maturity would be applied.

यदि नवीकरण का अनुरोध परिपक्वता तिथि के बाद प्राप्त होता है, तो ऐसे अतिदेय जमा परिपक्वता तिथि से और देयतिथि पर लागू ब्याजदर पर नवीकृत किए जाएँगे, बशर्ते ऐसा अनुरोध परिपक्वता तिथि से 14 दिन के अंदर प्राप्त हो। तथापि, उस अतिदेय सावधि जमा पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा, जिसकी चुकौती परिपक्वता तिथि से 14 दिन के अंदर की जा रही हो।

If request for renewal is received after the date of maturity, such overdue deposits will be renewed with effect from the date of maturity at interest rate applicable as on the due date, provided such request is received within 14 days from the date of maturity. However, no

interest shall be paid on the overdue FD, whose repayment is being made within 14 days from the date of maturity.

जो अतिदेय सावधि जमा परिपक्वता तिथि से 14 दिन के बाद नवीकृत /चुकाए जाते हैं, उनके संबंध में, लागू टीडीएस काटने के बाद, परिपक्वता राशि पर 4% प्रतिवर्ष (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) की दर से साधारण ब्याज अदा किया जाएगा। ऐसा ब्याज परिपक्वता तिथि से परिपक्वता राशि के भुगतान की तिथि तक अदा किया जाएगा।

In respect of overdue deposits renewed / repaid after 14 days from the date of maturity, then simple interest at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks) shall be paid on maturity amount, subject to deduction of applicable TDS. Such interest shall be paid from the date of maturity till release of maturity proceeds.

13. जमाराशियों के प्रति अग्रिम

ADVANCES AGAINST DEPOSITS

बैंक जमाराशियों के प्रति कोई ऋण मंजूर नहीं करेगा। तथापि ,बैंक से उधारकर्ता के नाम में जारी सावधि जमा रसीद संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जा सकती हैबशर्ते सिडबी की संतुष्टि , के अनुरूप समुचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। बैंक के पास गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद किसी भार /ग्रहणाधिकार से मुक्त होनी चाहिए। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत सावधि जमा रसीद पूर्णतः /विधिवत् उन्मोचित होनी चाहिए। चूक की स्थिति में, बैंक को निर्धारित अवरुद्धता अवधि के पहले सावधि जमा रसीद का नक़दीकरण नहीं करना चाहिए। किसी समय-पूर्व पुरोबंध (बंदी) /आहरण की अनुमति नहीं है। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित सावधि जमा रसीद जमाकर्ताओं की अपनी निधियों से सृजित की गई होनी चाहिए, न कि उधार की निधियों से।

The Bank shall not grant any loan against the deposit. However, the FDR issued by the Bank in the name of the Borrower, can be accepted as collateral security, subject to furnishing of suitable certificate to the satisfaction of the Bank. The FDR pledged with the Bank should be free from any encumbrance / lien. The FDR so accepted as collateral security should be fully / duly discharged. In the case of default, the Bank should not encash

the FDR before the prescribed lock-in period. No premature foreclosure / withdrawal is allowed. The FDR proposed to be accepted as collateral security should be created out of the depositors' own funds and not from borrowed funds.

14. दिवंगत के जमा खाते

DECEASED DEPOSIT ACCOUNTS

14.1 देयराशियों का निपटान

SETTLEMENT OF DUES

a. एकल या सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर, सावधि जमा की ब्याज राशि सहित कुल जमाराशि आवेदनपत्र में अंकित नामिती को या यदि जमाकर्ता(ओं) ने बाद में आवेदनपत्र में किए गए नामांकन में परिवर्तन किया हो, तो नामांकन फ़ॉर्म में अंकित नामिती को अदा की जाएगी।

   In the event of the demise of the sole or all joint depositors, the fixed deposit amount together with interest thereon, will be paid to the nominee as stated in the Application or as per nomination form in case nomination made in the application is subsequently revised by the depositor(s).

b. यदि आवेदनपत्र में नामांकन नहीं किया गया है, तो सिडबी ऐसी जमाराशियों के लिए उस/उन व्यक्ति(यों) के हक को मान्यता देगा, जो सिडबी की संतुष्टि के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत कर अपेक्षित कानूनी प्रतिनिधित्व सिद्ध करेगा/करेंगे।

   In case nomination has not been provided, the Bank will recognise the title of such person(s) to the deposit who would produce the requisite legal representation to the satisfaction of the Bank.

c. यदि दावेदारों के बीच कोई विधिक विवाद नहीं होगा, तो बैंक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र /प्रबंधाधिकार पत्र, आदि पर ज़ोर दिए बिना परिपक्वता राशि का भुगतान करेगा, बशर्ते विधिक उत्तराधिकारी /दावेदार क्षतिपूर्ति पत्र प्रस्तुत करें।

   In case there is no legal dispute among the claimants, then the Bank shall release the maturity payment, without insisting on Succession Certificate / Letter of Administration, etc., subject to submission of Indemnity from the legal heirs / claimant(s).

d. जमा की परिपक्वता राशि किसी एक दावेदार के नाम में जारी की जा सकती है, बशर्ते अन्य दावेदार /विधिक उत्तराधिकारी, बैंक की संतुष्टि के अनुरूप, उसके पक्ष में समुचित प्राधिकास्पत्र /मुख़्तारनामा प्रस्तुत करें।

The maturity proceeds of the deposit could be released in the name of one of the claimants, subject to submission of suitable letter of authority/ Power of Attorney from the other claimants / legal heirs in his/her favour, to the satisfaction of the Bank.

e. ऐसा/ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के भुगतान की प्राप्ति से पूर्व, जमा से संबंधित ऐसे सभी उत्तरदिनांकित ब्याज वारंट (यदि कोई हों, तो) बैंक को लौटाएगा, जिनका भुगतान होना शेष है। साथ ही, वह संबंधित जमा रसीद भी सिडबी को लौटाएगा।

Before receiving such payment, such person(s) will surrender to the Bank the post dated Interest Warrants, if any, relating to the deposit, remaining unencashed and the relevant Deposit Receipt.

f. किसी एक संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, और तब जब कोई नामांकन भी नहीं किया गया हो, बैंक सावधि जमा राशि के भुगतान के लिए जमा आवदेनपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार शेष जमाकर्ता(ओं) के हक को मान्यता देगा।

In the event of the demise of one of the Joint Depositors, and there is no nomination, the Bank will recognize the title of the remaining Depositor(s) for receiving payment relating to the deposits as given in the deposit Application Form.

14.2 दिवंगत व्यक्तियों के सावधि जमा खाते में देय ब्याज

INTEREST PAYABLE ON FIXED DEPOSIT IN DECEASED ACCOUNT

जमाराशि की परिपक्वता से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने और परिपक्वता तिथि के बाद जमाराशि का दावा किए जाने पर, बैंक परिपक्वता तिथि तक संविदागत दर से ब्याज अदा करेगा। परिपक्वता तिथि से भुगतान तिथि तक, बैंक इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार, उस अवधि के लिए 4% प्रतिवर्ष (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) की दर से साधारण ब्याज अदा करेगा, जिस अवधि में परिपक्वता तिथि के बाद जमाराशि बैंक के पास रही होगी।

In the event of death of the depositor before the date of maturity of deposit and amount of the deposit is claimed after the date of maturity, the Bank shall pay interest at the contracted rate till the date of maturity. From the date of maturity till the date of payment, the Bank shall

pay simple interest at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks), for the period for which the deposit remained with the bank beyond the date of maturity, as per the Bank's policy in this regard.

तथापि, अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता तिथि के बाद जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, बैंक परिपक्वता तिथि से भुगतान तिथि तक 4% प्रतिवर्ष (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) की दर से साधारण ब्याज अदा करेगा।

However, in the case of death of the depositor after the date of maturity of the overdue deposit, the bank shall pay simple interest at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks) from the date of maturity till the date of payment.

14.3 दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान दावा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन से अनधिक अवधि के अंदर किया जाएगा, बशर्ते बैंक की संतुष्टि के अनुरूप, जमाकर्ता की मृत्यु तथा दावेदार(रों) की समुचित पहचान के प्रमाण प्रस्तुत किए जाएँ।

The claims in respect of deceased depositors should be settled within a period not exceeding 15 days from the date of receipt of the claim subject to the production of proof of death of the depositor and suitable identification of the claim(s), to the bank's satisfaction.

15. निष्क्रिय खाते

DORMANT ACCOUNTS

निष्क्रिय जमा : कोई जमाराशि, जो परिपक्व हो गई है और किसी भी कारण से, 6 माह से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं की गई है, उसे "निष्क्रिय जमा" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे खातों पर परिपक्वता तिथि से भुगतान तिथि तक 4% प्रतिवर्ष (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) की दर से साधारण ब्याज उपचित /अदा किया जाएगा। भुगतान /वित्तवर्ष के अंत पर लागू टीडीएस काटा जाएगा।

Inoperative Deposits : A deposit matured and not paid for a period exceeding 6 months (from the date of maturity), for whatsoever reason, is classified as an "INOPERATIVE DEPOSIT". An interest rate at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks), on simple interest basis, shall accrue / paid on such accounts from the date of

maturity till date of payment. Applicable TDS shall be deducted at Payment / Financial Year end.

अदावी जमा : भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई जमाराशि, जो परिपक्व हो गई है और किसी भी कारण से, 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं की गई है, उसे “अदावी जमा” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे खातों पर परिपक्वता तिथि से भुगतान तिथि तक 4% प्रतिवर्ष (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रचलित बचत बैंक ब्याजदर) की दर से साधारण ब्याज उपचित /अदा किया जाएगा। भुगतान /वित्तवर्ष के अंत पर लागू टीडीएस काटा जाएगा।

Unclaimed Deposits : As per RBI guidelines, a deposit matured and not paid for over a period of 2 years (from the date of maturity), for whatsoever reasons, is classified as “UNCLAIMED DEPOSIT”. An interest rate at 4% p.a. (prevailing Savings Bank Rate Interest of Scheduled Commercial Banks), on simple interest basis, shall accrue / paid on such accounts from the date of maturity till date of payment. Applicable TDS shall be deducted at Payment / Financial Year end.

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि

THE DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND

राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2014 के अनुसार, भा.रि.बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के माध्यम से, **जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि** सृजित करने का प्रावधान किया है। इस धारा के प्रावधानों के अधीन, भारत में किसी बैंक में जमा कोई ऐसी राशि, जिसका 10 वर्ष तक लेनदेन न किया गया हो, या कोई जमा या कोई राशि, जिसके लिए 10 वर्ष से अधिक अवधि से कोई दावा न किया गया हो, उसे 10 वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर उक्त निधि में जमा कर दिया जाएगा। वर्तमान में, ये दिशानिर्देश बैंक पर लागू नहीं हैं। तथापि, यदि भा.रि.बैंक विकास वित्त संस्थाओं को ऐसा करने के लिए निर्देश देगा, तो इसका अनुपालन किया जाएगा।

In terms of Gazette Notification dated May 24, 2014, RBI, vide Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949, section 26A has prescribed for creation of **The Depositor Education and Awareness Fund (the Fund)**. Under the provisions of this section the amount to the

credit of any account in India with any bank which has not been operated upon for a period of ten years or any deposit or any amount remaining unclaimed for more than ten years shall be credited to the Fund, within a period of three months from the expiry of the said period of ten years. Presently, these guidelines are not applicable to the Bank. However, the same would be followed in case the Development Finance Institutions are directed by RBI to do so.

17. शिकायत एवं परिवेदना निवारण

REDRESSAL OF COMPLAINTS AND GRIEVANCES

जो जमाकर्ता बैंक से प्रदत्त सेवाओं के बारे में कोई शिकायत /परिवेदना करना चाहते हों, उन्हें ग्राहकों की शिकायत /परिवेदना का कार्य देखने वाले बैंक के पदनामित प्राधिकारी(रियों) से संपर्क करने का अधिकार है। शिकायत /परिवेदना के निवारण के लिए नोडल अधिकारियों के नाम शाखा परिसर में प्रदर्शित किए जाएँगे और शिकायत निवारण के लिए स्थापित आंतरिक व्यवस्था का विवरण बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शाखा के अधिकारी शिकायत दर्ज़ करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में अपेक्षित सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराएँगे।

Depositors having any complaint / grievances with regard to services rendered by the Bank has a right to approach authority (ies) designated by the Bank for handling customer complaint / grievances. The names of the nodal officers for redressal of complaints / grievances will be displayed in the branch premises and internal set up for redressal of complaints is displayed on the Bank's website. The branch officials shall provide all required information regarding procedure for lodging the complaint.

यह नीति समय-समय पर भा.रि.बैंक /अन्य विनियामक एजेन्सियों से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर पुनरीक्षण के अधीन है।

The Policy is subject to revision based on guidelines issued by RBI / other regulatory agencies from time to time.

******